तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स (एच0सी0)/एल.आर./2127/2006/जयपुर** **राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार बनाम रामचन्द्र**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

श्री महेन्द्र लोढ़ा, सदस्य

उपस्थित :

श्री तेजेन्द्र सिंह राठौड, राजकीय अभिभाषक, प्रार्थी।
विपक्षी बावजूद सूचना अनुपस्थित।

--

आदेश

दिनांकः–03.06.2026

1. यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर ने पत्रावली संख्या 234/2005 में अपने आदेश दिनांक 30–01–2006 के द्वारा राजस्व मंडल को प्रेषित किया गया है।

2. रेफरेन्स प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि तहसीलदार, फलेरा ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश कर कथन किया कि सेटलमेण्ट खतौनी ग्राम हचूकडा तहसील फुलेरा सम्वत् 2011–2029 के आराजी खसरा नम्बर 59 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा किस्म गै0मु0 तलाई सिवाय चक बिला लगानी अंकित है उक्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत् 2056–2059 में रामचन्द्र पुत्र गीदा ग्राम हचूकडा के नाम खाता संख्या खसरा नम्बर 59 रकबा 3 17 बिस्वा किस्म तालाबी प्रथम दर्ज है। उक्त भूमि जरिये नामांतरकरण संख्या 163 से श्री रामचन्द्र पुत्र गीदा जाति अहीर निवासी हचकूडा को जरिये आवंटन दिनांक 24–05–1976 के द्वारा दर्ज है। उक्त भूमि गै0मु0 तलाई दर्ज थी जो राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज नदी,

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>रेफरेन्स (एच0सी0)/एल.आर./2127/2006/जयपुर</u>** **राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार बनाम रामचन्द्र**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	नाला, झील, तालाब, नाडी, तलाई, जलाशयों की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02-08-2004 के अनुसरण के खातेदारी निरस्ती हेतु रेफरेन्स स्वीकार फरमाये जाने का कथन किया। 3. न्यायालय न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर ने उक्त रेफरेन्स प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया तथा अपने निर्णय दिनांक 30-01-2006 के द्वारा स्वीकार कर मण्डल को अनुशंसा हेतु प्रेषित किया है। 4. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। 5. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुये अभिकथन किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नही होते हैं इसलिये तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र में अंकित आवंटन/हस्तांतरण/नामांतकरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि डी0बी सिविल जन हित याचिका सं0 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02-08-2004 के द्वारा नदी, नाले, जलाशय आदि की भूमि जो दिनांक 15-08-1947 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है को वापस सरकारी भूमि दर्ज करने एवं इसके बाद हुए परिवर्तन को अवैध घोषित किये जाने के निर्देश है। अतः रेफरेंस स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी पुनः राजस्व रिकोर्ड में गै0मु0 तालाबी दर्ज करवाने के आदेश प्रदान करावें।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>रेफरेन्स (एच0सी0)/एल.आर./2127/2006/जयपुर</u>** **राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार बनाम रामचन्द्र**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	6. हमने विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के साथ रिपोर्ट पटवार हल्का संलग्न है। इसके अलावा नकल जमाबंदी सम्वत् 2056–59 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम हचूकडा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 59 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा भूमि किस्म तालाबी रामचन्द्र पुत्र गीदा कौम अहीर के नाम दर्ज रिकार्ड है। नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2056–59 व 2060–63 संलग्न है जिसके अनुसार प्रश्नगत आराजी पर सरसों व चना की फसल काश्त किया जाना अंकित है। नकल नामांतरकरण पंजिका 163 संलग्न है। नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2056–59 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम हचूकडा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 59 पर मूंग की फसल काश्त किया जाना अंकित है। नकल जमाबंदी खतौनी बंदोबस्त सम्वत् 2011–2029 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम हचुकडा में स्थित आराजी खसरा संख्या 59 की रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा भूमि कॉलम संख्या 3 में ठा0 भानुप्रतापसिंह के नाम दर्ज होना अंकित है व कॉलम संख्या 05 में किस्म सिवायचक बिला लगानी दर्ज होना अंकित है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत आराजी पूर्व में गै0मु0 तालाबी दर्ज थी जो बाद में अप्रार्थी के नाम दर्ज कर दी गई। 7– राजस्व विधियों एवं नियमों के अनुसार **''गै0मु0 तालाब/नाला/नदी''** किस्म की भूमि ना तो आवंटन/नियमन योग्य है और ना ही ऐसी भूमि में किसी को खातेदारी अधिकार मिल सकते हैं। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 का नियम 4 (प) निम्न प्रकार हैः– **"4. Land not available for allotment under these rules.-** The following categories of lands shall not be available for allotment for	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>रेफरेन्स (एच0सी0)/एल.आर./2127/2006/जयपुर</u>** **राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार बनाम रामचन्द्र**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

agricultural purposes under these rules, namely-

(i) Land mentioned in the section 16 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955"

8. इसी प्रकार से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधान निम्न प्रकार हैः–

16. Land on which Khatedari rights shall not accrue.-

Notwithstanding anything in this Act or in any other law or enactment for the time being in force in any part of the State Khatedari rights shall not accrue in-

(ii)Land used for casual or occasional cultivation in the bed of river or tank;

9. प्रश्नगत भूमि पूर्व में गै0मु0 तालाब की भूमि अंकित होने से उक्त आराजी धारा 16 अधिनियम, 1955 एवं राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम, 1970 के प्रावधानों के तहत आवंटन/नियमन से प्रतिबंधित आराजीयात है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार आदेश दिनांक 2–8–2004 में निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये हैंः–

All land shown as drainage channels like nalla rivers, tributaries etc. as on 15-8-1947 should be declared as Government land. Any conversions made after 15-8-

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>रेफरेन्स (एच0सी0)/एल.आर./2127/2006/जयपुर</u>** **राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार बनाम रामचन्द्र**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

1947 should be declared illegal. The relevant act at rules must be amended accordingly.

10. उपरोक्तानुसार भी 15 अगस्त 1947 की राजस्व अभिलेख की स्थिति यथावत रखी जानी चाहिए। अतः इस प्रकार की स्थिति में न्यायालय अति0 जिला कलक्टर चतुर्थ जयपुर द्वारा मण्डल को प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में रेफरेन्स किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की गई है।

11– परिणामस्वरूप रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर ग्राम हचूकडा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 59 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा को पुनः किस्म गै0मु0 तालाब दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

12– इस आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली अविलम्ब लौटाई जावे तथा पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 महेन्द्र लोढ़ा)
सदस्य